राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प 7 (51) परि / नियम / मु0 / 95 / पार्ट–II / 2003 / 37290 जयपुर, दिनांक : 10/7/09

कार्यालय आदेश संख्या 19 / 2009

विभागीय अधिसूचना दिनांक 20.01.2004, 30.06.2004 एवं 01.07.2008 द्वारा कमशः मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों / महाविद्यालयों के प्राचार्यों, मोटर ड्राईविंग स्कूल के अनुज्ञापत्रधारियों एवं मोटर वाहन डीलर्स को गैर परिवहन वाहन का लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने हेतु निर्धारित किया हुआ है। इस संबंध में कार्यालय आदेश 4 / 2004 एवं 32 / 2004 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में समस्त जिला परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटर के द्वारा टच–स्कीन टेस्ट से लर्निंग लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं, जबकि लर्निंग लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों, ड्राईविंग स्कूल के संचालकों एवं मोटर वाहन डीलरों द्वारा बिना टच स्कीन द्वारा जांच किये ही लर्निंग लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा, जागरूकता एवं विभागीय –नीति के अनुरूप ड्राईविंग लाईसेंस जारी करने की राज्य सरकार की मंशा पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

विभागीय मंशा के अनुरूप उचित होगा कि उपरोक्त सभी प्राधिकारियों द्वारा लर्निंग लाईसेंस टच स्कीन मशीन पर जारी किये जावें। इसके लिए उपरोक्त सभी प्राधिकारियों को 30.09.2009 तक टच स्कीन मशीन लगाने का समय प्रदान किया जाता है। इसके साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि नये प्रकरणों में टच स्कीन मशीन लगाने के उपरान्त ही विद्यालय / महाविधालयों के प्राचार्यों, मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालक एवं मोटर वाहन डीलर्स को लर्निंग लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जावे।

दिनांक 30.09.2009 तक जिन विद्यालय/महाविधालयों के प्राचार्यों, मोटर ड्राईविंग स्कूल के संचालकों एवं मोटर वाहन डीलर्स के द्वारा लर्निंग लाईसेंस आवेदकों के ट्रेफिक संबंधी नियमों की जानकारी की जांच हेतु टच स्कीन मशीन नहीं लगाई जाती है तो उनका लर्निंग लाईसेंस जारी करने की अधिकारिता समाप्त कर दी जाये एवं उनको इस संबंध में जारी समस्त स्टेशनरी कार्यालय में जमा कराई जाना सुनिश्चित करें।

टच स्कीन के माध्यम से लर्निंग लाईसेंस जारी करने संबंधी उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

क्रमांक :- प 7 (51) परि/नियम/मु0/95/पार्ट-II/2003/3729 जयपुर, दिनांक : 10/7/09

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी..............................
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण..............................
4. रक्षित पत्रावली।

10/7/09
उप परिवहन आयुक्त (नियम)